अध्यक्ष द्वारा दिये गये स्थायी आदेश

अध्याय-एक
सभा के समक्ष कार्य का क्रम.

सभा के समक्ष कार्य के विभिन्न वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता.

1. यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे तो सभा के समक्ष कार्य की निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात् :-

(1) शपथ या प्रतिज्ञान.
(2) राज्यपाल का अभिभाषण.
(3) मंत्रियों का परिचय.
(4) निधन संबंधी उल्लेख.
(5) प्रश्न (अल्प-सूचना प्रश्नों सहित).
(6) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति.
(7) विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न.
(8) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र.
(9) राज्यपाल के संदेश सुनाना.
(10) कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिये प्रस्ताव.
(11) विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना.
(12) सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी अथवा रिहाई के बारे में मजिस्ट्रेटों अथवा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं.
(13) ध्यान दिलाने वाली सूचना.
(14) नियम 267-क के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं है.
(15) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा.

(16) सभा के सदस्यों के पदत्याग, सभापति तालिका, समितियों आदि में नाम-निर्देशन आदि विविध विषयों के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा.

(17) अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय या घोषणाएं.

(18) समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन.

(19) याचिकाओं का उपस्थापन.

(20) मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य.

(21) अपने पद के त्याग के स्पष्टीकरण में भूतपूर्व मंत्री द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य.

(22) स्थायी आदेश क्रमांक 99 के अधीन वक्तव्य.

(23) नियम 255 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण (यदि वाद-विवाद के दौरान न किया गया हो)

(24) समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव.

(25) विधेयक संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय बढ़ाए जाने के लिये प्रस्ताव.

(26) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव.

(27) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव.

(28) मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव.

(29) वापस लिये जाने वाले विधेयक.

(30) पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक.

(31) अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य का पटल पर रखा जाना.

(32) विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार